pl. 155

फा0सं0 17014/35/2013-आई.एस.VII

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली,
दिनांक 29 नवम्बर, 2013

सेवा में,

श्री मुख्तयार सिंह सूफी,
डब्ल्यू. जेड.-168, खामपुर,
वेस्ट पटेल नगर,
नई दिल्ली-110008

विषय: सूचना अधिकार अधिनियम-2005 के अंतर्गत दिनांक 22-03-2013 के आवेदन द्वारा मांगी गई सूचना के संबंध में।

कृपया निदेशक (आई.एस.1) तथा केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी के पत्र सं0 II/20034/20/2013-आई.एस..II (पार्ट), दिनांक 21 नवम्बर, 2013 का अवलोकन करें जिसके द्वारा आपका उपरोक्त आवेदन अधोहस्ताक्षरी को आपके आवेदन के बिन्दु सं0 10 एवं 11 के संबंध में सूचना उपलब्ध कराने हेतु स्थानान्तरित किया गया है, जो कि अधोहस्ताक्षरी को दिनांक 26.11.2013 को प्राप्त हुआ है।

अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार आपके आवेदन के बिन्दु संख्या 10 एवं 11 के विषय में उपलब्ध सूचना निम्नवत है:-

(i) <u>बिन्दु सं0 10:</u> पंजाब ने 1980 एवं 1990 दशको के दौरान 10 वर्ष से अधिक आतंकवाद का सामना किया । इस दौरान 11694 नागरिक आतंकवादियों द्वारा मारे गए तथा 1784 सुरक्षा बलों के लोग हताहत हुऐ। 8096 आतंकवादी सुरक्षा बलों द्वारा मारे गए।

(ii) <u>बिन्दु सं0 11:</u> पंजाब में उग्रवाद के दौरान भारत सरकार द्वारा पंजाब सरकार को 5799.92 करोड़ रुपए का विशेष अवधि ऋण दिया गया, जिसमें से पंजाब सरकार ने 771.24 करोड़ रुपए (मूलधन) तथा 1923.43 करोड़ रुपए (ब्याज) अदा किए। बकाया मूलधन एवं ब्याज भारत सरकार द्वारा समय-समय पर माफ कर दिया गया था।

यदि आप उपर्युक्त उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं तो सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 (1) के अनुसार इस पत्र के जारी होने के 30 दिन के भीतर प्रथम अपील अधिकारी श्री राकेश सिंह, संयुक्त सचिव (आई.एस. 1), गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली के समक्ष अपील दायर कर सकते हैं।

जारी ISSUED
03 DEC 2013
गृह मंत्रालय नॉर्थ ब्लॉक/MHA

3/12/13

(राजेश कुमार गुप्ता)
निदेशक (आई.एस.III) तथा
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी.

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

श्री एस0 सामन्त, अवर सचिव (आर0टी0आई0), गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।